

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा


क्रमांक:न्यायालय/न्यायशुल्क रिफण्ड/2019/ 6195

दिनांक- 18-6-2019

:: आदेश ::


सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 170/2016 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी शेरमेन टैक्सटाईल्स जरिये प्रोपराइटर रोहन अग्रवाल पुत्र शंकरलाल अग्रवाल निवासी टोयोटो शोरूम के पास, अजमेर रोड, भीलवाडा न्यायशुल्क राशि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है और आदेशानुसार प्रकरण में रूपया 4,991/- अक्षरे चार हजार नौ सौ इकरानवे रूपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी शेरमेन टैक्सटाईल्स जरिये प्रोपराइटर रोहन अग्रवाल पुत्र शंकरलाल अग्रवाल निवासी टोयोटो शोरूम के पास, अजमेर रोड, भीलवाडा को 4,991/- अक्षरे चार हजार नौ सौ इकरानवे रूपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि:-

- 1 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) भीलवाडा को उनके प्रमाण पत्र क्रमांक 651 दिनांक 31.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
- 3 कोषाधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
- 4 वादी शेरमेन टैक्सटाईल्स जरिये प्रोपराइटर रोहन अग्रवाल पुत्र शंकरलाल अग्रवाल निवासी टोयोटो शोरूम के पास, अजमेर रोड, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।


प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग